C-MED-M-OBE

NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING

Time Allowed: Three Hours

Maximum Marks: 200

INSTRUCTIONS

Question 1 is compulsory. Attempt any four parts each from Questions 2 and 3.

Each question is printed both in Hindi and in English.

Answers must be written in the medium of English or Hindi as specified in the Admission Certificate issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer-book in the space provided for the purpose. No credit will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Certificate.

The number of marks carried by each question is indicated at the end of the question.

Note: The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed while writing the answers.

IMPORTANT: All parts/sub-parts of a question being attempted must be completed before moving on to the next question.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है । Make a précis of the following passage in about one-third of its original length and suggest a title for it.

40

The Union Government recently decided to make elementary/primary education a fundamental right, with the operational goal of making it universal and compulsory. Many commentators have rightly raised the question of whether such a decision is merely cosmetic, "pie in the sky" rhetoric of the kind we have seen so often in the past 50 years, or is it a realistic goal. In this article we explore what is exactly required to turn this dream into reality, and to improve the educational attainment of the people.

It is useful to start by putting our lack of achievement on the basic education front in international perspective. Our literacy rate ranks 30th from the bottom among a group of 147 countries. Among the medium-large countries only Egypt and our S. Asian neighbours (Pakistan, Bangladesh and Nepal) have higher illiteracy rates than us. Gross enrolment in Primary schools is relatively more favourable, with India ranked 56 among a group of 109 countries for which data is available. Data on net enrolment, which is a better measure of comparative performance, is not available on a regular basis for

निम्नलिखित गद्यांश का सार संक्षेप मूल लंबाई के लगभग एक-तिहाई में लिखें तथा इसका एक शीर्षक भी सुझाएँ ।

संघ सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि आरम्भिक व प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार स्वीकार किया जाए, साथ ही साथ प्रचालन सम्बन्धी लक्ष्यों के रूप में इसे सार्वजनीन और अनिवार्य बनाया जाए । अनेक टीकाकारों ने सही सवाल उठाया कि क्या ऐसा निर्णय महज लीपापोती है, ''चाँद खिलौना'' देने वाली महत्त्वाकांक्षी शब्दाडंबरी उक्ति जिसे हमने पिछले पचास वर्षों अक्सर देखा है, या यह एक वास्तविकतापूर्ण लक्ष्य है। इस आलेख में हम यह खोजबीन करेंगे कि इस स्वप्न को साकार करने के लिए, और जनता की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार के लिए क्या-क्या अपेक्षित है ।

अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बुनियादी शिक्षा के मोर्चे पर अपनी नाकामियों को आगे रखकर बात शुरू करना ज़्यादा बेहतर रहेगा । 147 देशों के वर्ग में हमारी साक्षरता की दर नीचे से 30वीं श्रेणी में ठहरती है । मंझौले-बड़े देशों में सिर्फ़ मिस्र और हमारे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल) की निरक्षरता दर हमसे ऊँची है । प्राथमिक स्कूलों में सकल भर्ती अपेक्षाकृत ज़्यादा अनुकूल है, जिनके आँकड़े उपलब्ध है ऐसे 109 देशों के वर्ग में हमारी श्रेणी 56वीं है । बहुत से विकासशील देशों में नियमित आधार पर निवल भर्ती के आँकड़े जो कि तुलनात्मक प्रदर्शन के बेहतर मापक हैं, उपलब्ध नहीं हैं । हमारे मामले में निवल भर्ती केवल 60% (जो कि सकल भर्ती 99-8% के मुकाबले है) है, और निवल उपस्थिति भर्ती के many developing countries. In our case net enrolment is estimated to be only 60% (as against gross enrolment of 99.8%) and net attendance is just 66% of enrolment. The picture on secondary school enrolment is even worse, where we rank 76 among a set of 103 countries.

The approach paper to the Five Year Plan sets out two specific targets for literacy and schooling. These include, (a) All children in school by 2013; all children complete 5 years of schooling in 2017. (b) Increase in literacy to 75% within the Plan period. In addition, there will have to be a major increase in the proportion of children entering upper primary and secondary schools if we are to keep up with the demand for better educated labour force. These objectives cannot be met by a 'business as usual' approach that pumps more funds into existing systems of government education - namely more plan funds for more government run school buildings and more plan and non-plan funds for hiring more government teachers (who don't really show up to teach). What can such a new approach consist of?

मुकाबले मात्र 66 प्रतिशत है । माध्यमिक स्कूलों में भर्ती की तस्वीर तो और भी बुरी है, जहाँ हम 103 देशों के वर्ग में 76वें ठहरते हैं ।

पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव-प्रपत्र साक्षरता और स्कूली शिक्षा के लिए दो विनिर्दिष्ट लक्ष्य प्रस्तुत करता है । इसमें सम्मिलित है, (अ) सभी बच्चे 2013 तक स्कूलों में हों; 2017 तक सभी बच्चे पाँच वर्ष स्कूलों में पूरा करें । (आ) योजना अवधि के भीतर साक्षरता में 75% बढ़ोतरी हो । इसके साथ-साथ, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में और माध्यमिक कक्षाओं में आनुपातिक रूप से बड़ी वृद्धि अवश्य प्राप्त करनी होगी यदि हम शिक्षित श्रमिक शक्ति की माँग के प्रति सतर्क हों । ऐसे लक्ष्य एक 'साधारण व्यापार' दृष्टि से पूरे नहीं किए जा सकते जैसे पुरानी पद्धति थी कि ज़्यादा धन पेलो पहले से चल रहे सरकारी विद्यालयों की ओर, कहने के लिए ज़्यादा योजना राशि ज़्यादा सरकाराश्रित स्कूल भवनों के लिए, और ज़्यादा योजना और योजनेत्तर धन सरकारी अध्यापकों की बहाली के लिए (जो कभी पढ़ाने के लिए दिखते ही नहीं) । ऐसी नई प्रणाली में क्या शामिल हो सकता है ?

सरकारी स्तर पर मंजूरशुदा कारणों से एक माह में से 14 दिन तो अध्यापक अपने काम से ग़ैर-हाज़िर रहते हैं। ग़ैर-सरकारी अनुपस्थिति, इसमें जोड़ें, तो इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में शायद ही वे पढ़ाने के लिए उपलब्ध होते हों। इसमें अगर हम कम क्षमता या गुण वाले अध्यापक शामिल करें

Teachers are absent from their work for 14 days a month for officially recognised reasons. Unofficial absence, when added to this, would mean, particularly in rural areas, that they are seldom available to do any teaching. Add to this the poor quality of teachers and you may begin to comprehend how uninteresting school is for students in government schools. The low quality is confirmed by the experience of a 17-year-old boy who was taught in a slum in the heart of Delhi last summer. At the end of his short stint, the government teacher assigned to do the teaching at the local govt. school requested him to give her own son lessons. And all this costs the government upwards of ₹ 1000/child/year. Compare this with the cost to NPOs/NGOs of ₹ 50 to 65 per child/month. There are now NPOs who have offered to take on the task of teaching at 1/10th the cost incurred by government, with a guaranteed and measurable quality of output (i.e. testable levels of reading, writing and arithmetic ability). One can now begin to get an idea of what can be achieved by a radical new approach.

In modern economies primary and secondary schooling constitutes one of the most important तो आप समझना शुरू कर देंगे कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए कितनी अरुचिकर है। निम्न गुण वाली शिक्षा की पुष्टि एक 17 वर्ष के किशोर द्वारा की गई है जिसकी पढ़ाई दिल्ली शहर के मध्य में पिछले ग्रीष्म एक झोपड़ बस्ती में हुई थी । काम के लिए निर्धारित अल्प अवधि के अंत में सरकारी अध्यापक ने, जिसे स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया था, उससे अनुरोध किया कि वह उसके बेटे को पढ़ा दिया करे । और इस सब में सरकार का खर्च ₹ 1,000 प्रति बच्चा/प्रतिवर्ष से अधिक आता है । इसकी तुलना में लाभ-निरपेक्ष संस्थाएँ और स्वैच्छिक संस्थाएँ ₹ 50 से ₹ 65 प्रति बच्चा/प्रतिमास व्यय करती हैं । अब कुछ ऐसी लाभ-निरपेक्ष संस्थाएँ आगे आकर सरकारी खर्च के 1/10 राशि पर काम करने का प्रस्ताव दे रही हैं; इसमें अर्जित ज्ञान के परिमेय की आश्वस्ति भी है (पढ़ने, लिखने और गणितीय योग्यता की परीक्षणीय स्तरें) । अब कोई इस विचार को जानना शुरू कर सकता है कि एक नई सुधारवादी दृष्टि से हम क्या हासिल कर सकते हैं।

आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारों का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य बनता है। प्राथमिक शिक्षा तो अगले पाँच वर्षों में पूर्णतः पंचायतों में विकेन्द्रित होनी चाहिए। हर पंचायत से यह अपेक्षा है कि वे एक प्रयोक्ता-वर्ग गठित करें, जिसमें नव-किशोरों की माताएँ पंचायत अधिकारियों के साथ शामिल हों, स्थानीय अध्यापक functions of local government. Primary schooling should be completely decentralised to Panchayats over the next five years. Each Panchayat should however be required to set up a user group consisting of mothers of young children along with Panchayat officials, the local teacher and a representative of the State education department to monitor and supervise the functioning of the school so as to ensure quality. The funds currently being spent on the primary school system should be devolved to the Panchayats along with the authority to hire and fire teachers. In the transition period however, the pool of teachers could consist of the currently employed teachers.

All existing urban primary school facilities should be handed over to Non-Profit Organisations/NGOs on an 'as is' basis. This should be done over a five-year period (say) starting with the worst run schools. The government should provide a one-time grant to those NPOs wanting to set up schools in underserved/slum areas. This would be done on the clear understanding that they would not be entitled to any further subsidies. It would also be made clear that they have to follow some simple basic norms like free education for all those living in the neighbourhood who cannot

और राज्य शिक्षा विभाग का एक-एक प्रतिनिधि इस वर्ग में लिया जाए जो स्कूल की गतिविधियों का अनुवीक्षण और निरीक्षण इस दृष्टि से करें कि शिक्षा में उच्च गुण की आश्वस्ति हो । अभी तक प्राथमिक स्कूल पद्धित पर खर्च की जाने वाली राशि पंचायतों के जिम्मे सौंप देनी चाहिए, इस अधिकार के साथ कि वे अध्यापकों की बहाली और बेदखली कर सकें । संक्रमण काल की अविध में चाहें तो अध्यापकों के निकाय में पहले से कार्यरत अध्यापकों को भी जोड़ा जाए ।

सभी विद्यमान नगरीय प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुविधाएँ लाभ-निरपेक्ष व ग़ैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को 'जैसी वे हैं' वैसे आधार पर सौंप दी जानी चाहिए । सबसे बुरी हालत में चल रहे विद्यालयों से आरम्भ कर यह कार्य पाँच वर्ष (शायद) की अवधि तक किया जाना चाहिए । झोंपड़ बस्तियों या अपात्रता वाले इलाकों में विद्यालय चालू करने की इच्छुक लाभ-निरपेक्ष संस्थाओं को सरकार को एक बार एकमुश्त अनुदान प्रदान करना चाहिए । यह स्पष्ट समझौते के आधार पर सम्पन्न होना चाहिए कि वे फिर किसी भावी सहायता की हकदार नहीं होंगी । यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वे कुछ साधारण मूल नियमों का अनुपालन करें जैसे पड़ोस में रहने वाले उन सब शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें जो शुल्क देने में समर्थ नहीं हैं। सरकार को स्थानीय अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना होगा (नई अभिनव पद्धतियों और संचार सुविधाओं का प्रयोग करते हुए), तथा नियमान्तर्गत निरीक्षण प्रदान करना होगा ।

afford to pay. The government would focus on training of local teachers (using innovative techniques and communication facilities), and in providing regulatory oversight.

There is a need to simplify the laws, rules and regulations relating to setting up and running of non-profit schools. This requires a change in attitude from control to modern regulation. Govt. should focus on ensuring transparency to parents of enrolled students and ensure that there is no financial fraud or misleading advertisement of quality of the schooling provided.

In the case of rural areas, Govt. should provide a capital grant to any NPO/NGO that wants to set up and run a secondary school in any rural area not currently serviced by a secondary school. Special focus should be on schools for girls so that they do not have to walk unreasonable distance from home. Larger grant could be provided in such cases. It is understood that the UP education authorities have successfully used this approach to provide a secondary school for girls in every single district of the State. Such an approach is very important in poor States.

लाभ-निरपेक्ष विद्यालय स्थापित करने व प्रचालन करने सम्बन्धी कानूनों, नियमों और अधिनियमों को आसान बनाने की ज़रूरत है। इसमें नियंत्रण की मनोवृत्ति से आधुनिक नियमन की दिशा में परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकार को भर्ती शिक्षार्थियों के अभिभावकों को पारदर्शिता के प्रति आश्वस्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि वहाँ न कोई वित्तीय घपला है और न शिक्षा के गुणधर्म के बारे में कोई बहकाने वाला विज्ञापन किया गया।

ग्रामीण इलाकों के मामले में सरकार को किसी भी लाभ-निरपेक्ष संस्था व ग़ैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्था को विद्यालय स्थापित करने और प्रचालित करने के लिए पूँजीगत अनुदान प्रदान करना चाहिए जो ऐसे इलाके में माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना चाहती हो जहाँ फिलहाल माध्यमिक शिक्षा की सेवाएँ न हों । विशेष ध्यान लड़िकयों के विद्यालयों पर दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें अपने घर से ज़्यादा दूरी न तय करनी पड़े । ऐसे मामलों में बड़ी राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए । ऐसा समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों ने राज्य के प्रत्येक जिले में लड़िकयों के लिए ऐसे माध्यमिक विद्यालय सफलतापूर्वक इसी दृष्टिकोण से उपलब्ध कराए हैं । ऐसी दृष्टि धनहीन राज्यों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

2. Attempt any four of the following:

20×4

- (a) During the visit of the Director of School Education to a primary school, parents of some of the students met him to complain against the functioning of the school and also offered some suggestions to bring about an improvement. You have accompanied the Director during this visit. Please make a summary of the complaints made by parents against the working of the school and suggestions for its improvement. Your summary must include at least two points of complaint and one suggestion for improvement.
- (b) On the basis of the following information, write a note reviewing the occurrence of bird flu in West Bengal:

Episode	Period	Number of Epicenters	Number of birds culled (in lakhs)	Compensation paid (in ₹ lakhs)
1 st	Jan - May, 2008	68	42.62	1229.00
2 nd	Dec., 2008 – May, 2009	11	2.01	36.00
3^{rd}	Jan, 2010	12	1.56	68-80
4 th	19 th September, 2011	2	0.49	19-29

2. निम्नलिखित में से किन्हीं चार को हल कीजिए :

20×4

- (अ) कुछ विद्यार्थियों के अभिभावक, निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग के एक प्राथमिक विद्यालय के दौरे के दौरान विद्यालय की प्रचालन सम्बन्धी शिकायतों के साथ मिले, उन्होंने इसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए । निदेशक के इस दौरे में आप भी उनके साथ थे । कृपया अभिभावकों द्वारा विद्यालय के प्रचालन के विरुद्ध की गई शिकायतों और इनके सुधारों के लिए प्रस्तुत सुझावों का एक सार तैयार करें । आपके सार में शिकायतों के कम-से-कम दो बिन्दु और सुधार के लिए एक सुझाव अवश्य अन्तर्विष्ट हो ।
- (आ) निम्नलिखित सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल में ''बर्ड फ्लू'' के घटित होने सम्बन्धी मामले की समीक्षा करते हुए एक टिप्पणी लिखें :

घटना	अवधि	उत्केन्द्रों की संख्या	गिने गए पक्षियों की संख्या (लाख में)	दिया गया मुआवजा (लाख ₹ में)
प्रथम	जनवरी – मई, 2008	68	42.62	1229-00
द्वितीय	दिसम्बर, 2008 – मई, 2009	11	2.01	36-00
तृतीय	जनवरी, 2010	12	1.56	68-80
चतुर्थ	19 सितम्बर, 2011	2	0.49	19-29

(c) An applicant has sought details of the caste of a government employee as recorded in his service book. Accordingly, a copy of the Caste Certificate as available in service records was provided. A second application was received which questioned the authenticity of the Caste Certificate issued by the concerned authority.

Please put up a note to the CPIO covering the following:

- Background of the case.
- (ii) Whether CPIO should entertain questioning the authenticity of the Caste Certificate or ask the applicant to approach the authority issuing the Caste Certificate in regard to the same.
- (d) Secretary, Ministry of Culture has observed that there is an inordinate delay in sending replies to VIP references received in the Division A. He decides to send a note to the Joint Secretary heading the said Division to put up a status of all the pending VIP references and directing that in future all such references that are not responded within 15 days of their receipt should be brought to his personal attention. Draft that note.

(इ) एक आवेदनकर्ता एक सरकारी कर्मचारी के उन जातिगत विवरणों की माँग कर रहा है जो उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज हैं। तदनुसार जातिगत प्रमाण-पत्र की एक प्रति जो सेवा पुस्तिका में उपलब्ध थी दे दी गई। एक दूसरा आवेदन मिला जो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किए गए जातिगत प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाता है।

कृपया प्रमुख सूचना अधिकारी को भेजे जाने वाले टिप्पण का मसौदा दें जिनमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल हों :

- (i) मामले की पीठिका ।
- (ii) क्या प्रमुख सूचना अधिकारी को जातिगत प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाने वाले आवेदन को विचारणीय मानना चाहिए या उसे उस प्राधिकारी से आवेदन करने के लिए कहना चाहिए जिसने जातिगत प्रमाण-पत्र जारी किया है।
- (ई) संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने पाया कि प्रभाग ए में प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्रों के उत्तर जाने में अनियमित देरी हो रही है। उन्होंने उस प्रभाग को देखने वाले संयुक्त सचिव को तमाम लंबित अति विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भों की स्थिति जानने और उन्हें यह निर्देशित करने हेतु एक टिप्पण भेजने का निर्णय लिया कि उन संदर्भों की पावती उनके निजी ध्यान में लाए जाएँ जिनके उत्तर पत्र पाने के पंद्रह दिनों के भीतर नहीं दिए गए हों। उस टिप्पण का मसौदा तैयार करें।

- (e) Rule 18 of the CCS (Conduct) Rules, 1964, provides as under:
 - (i) Every government servant on his first appointment to any post or service submit a return of his assets and liabilities giving details of immovable property owned, acquired or inherited by him in his own name or in the name of his family member or any other person.
 - (ii) Every Government servant belonging to the Group A and Group B shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the Government, giving full particulars of immovable property owned, acquired or inherited by him in his own name or in the name of his family member or any other person.
 - (iii) No Government servant, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose any immovable property either in his own name or in the name of his family member(s).

- (उ) नियम 18, केन्द्रीय सिविल सेवा (कण्डक्ट) नियमावली 1964, निम्नलिखित प्रावधान करता है :
 - (i) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी भी पद या सेवा पर अपनी पहली नियुक्ति के समय अपनी सम्पत्ति और देनदारियों के ब्यौरे यथा अचल परिसम्पत्ति स्वयं के नाम, स्वयं अर्जित या उसके द्वारा विरासत में प्राप्त, उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर हों, दाखिल करेगा ।
 - (ii) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो ए. या बी. वर्ग से सम्बन्धित है ऐसे प्रपत्र पर अपनी सालाना विवरणी दाखिल करेगा जो सरकार द्वारा विहित हो, अपनी सम्पत्ति और देनदारियों के विवरण यथा, अपनी अचल सम्पत्ति जो स्वयं मालिकाना हो या उसके द्वारा अर्जित या उत्तराधिकार में प्राप्त हो, उसके स्वयं के नाम पर हो या परिवार के सदस्य या किसी अन्य के नाम पर हो।
 - (iii) कोई भी सरकारी कर्मचारी विहित अधिकारी के संज्ञान में लाए बिना न किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकता है और न उसका अपने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के नाम निपटान कर सकता है ।

During processing of a case for prior sanction of the competent authority, the following source of funding is indicated by employee A:

- (i) GPF withdrawal ₹ 12,00,000
- (ii) Personal savings ₹ 1,00,000
- (iii) Realisation from sale of plot of land -₹ 20,00,000

From the service records maintained by the office, it is seen that the employee had neither given any intimation of ownership of the plot of land indicated at (iii) above nor taken any sanction to dispose off the same.

Please draft up a note examining the case in the light of the rule position and proposing further course of action.

had approved a proposal of its sub-office 'Area Accounts Office (AAO)' for placement of a supply order valuing ₹ 10,00,000/- for purchase of five (5) numbers of compactors on a rate contract basis. Subsequently, the AAO observed that there was a cartel formation amongst the bidders, which defeats the purpose of competitive bidding. It reported the position to the office of the Controller of Defence Accounts, Secunderabad.

पूर्व संस्वीकृति की अपेक्षा से एक मामले के प्रक्रमण के दौरान कर्मचारी ए. द्वारा निधि के निम्नलिखित स्रोत दर्शाए गए :

- (i) भविष्य निधि से निकाली गई राशि ₹ 12,00,000
- (ii) निजी बचत ₹ 1,00,000
- (iii) . प्लाट बेचने से प्राप्त रकम ₹ 20,00,000

कार्यालय द्वारा अनुरक्षित सेवा रिकार्ड से दिखाई दिया कि कर्मचारी ने भूमि के प्लाट की मालिकाना सूचना न कभी दर्शाए गए प्लाट के रूप में दी (iii) न उसके निपटान के लिए कभी कोई संस्वीकृति प्राप्त की ।

कृपया नियमों के आलोक में मामले की जाँच तथा आगे की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सहित टिप्पण प्रस्तुत करें।

(ऊ) रक्षा लेखा महानियंत्रक, सिकन्दराबाद ने अपने उप-कार्यालय 'क्षेत्रीय लेखा कार्यालय' को स्थानन वितरण हेतु दस लाख रुपये का एक आदेश पाँच कॉम्पेक्टर्स दर संविदा पर खरीदने की मंजूरी दी । बाद में, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय ने गौर किया कि वहाँ बोली लगाने वालों का एक संघ सा दिखाई देता है, जो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के स्वस्थ लक्ष्य को पराजित करता है । उन्होंने रक्षा लेखा महानियंत्रक, सिकन्दराबाद को सही स्थिति से अवगत कराया । As a Section Officer, draft an office note for decision of the Controller of Defence Accounts, Secunderabad bringing out the facts reported by the AAO and the rule position on the subject as stated in the relevant position from the Procurement Manual reproduced below:

"Cartel Formation/Pool rates :- Sometimes a group of tenderers quote identical rates against a rate contract tender. Such Pool/Cartel formation is against the basic principle of competitive bidding and defeats the very purpose of open and competitive tendering system. Such practices should be severely discouraged with strong measures. Suitable administrative actions like rejecting the offers, reporting the matter to Registrar of Companies, MRTP Commission, National Small Scale Industries Corporation etc. should be initiated against such firms, on case-to-case basis, as decided by the competent authority. Ministries/Departments may also examine desirability of bringing such unhealthy practices to the notice of the concerned trade associations like FICCI, ASSOCHAM, NSIC, etc. requesting them, inter alia, to take suitable and strong action against the firms. New firms should also be encouraged to get themselves registered for subject goods/services to break themonopolistic attitude of the firms forming cartels...."

अनुभाग अधिकारी के नाते, रक्षा लेखा महानियंत्रक, सिकन्दराबाद के निर्णय हेतु क्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा सामने लाए गए सभी तथ्यों के साथ और इस विषय में नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुए जैसे कि 'प्रोक्योरमेंट मैनुअल' से पुनर्प्रस्तुत सामग्री के आलोक में एक कार्यालयी टिप्पण प्रस्तुत करें।

''प्रोक्योरमेंट मैनुअल'' से पुनर्प्रस्तुत सामग्री संलग्न है :

''संघ निर्माण/पूल दर :- कभी-कभी निविदा सामग्री ग्रस्तुत करने वाले दर संविदा निविदा में एक जैसी दरों का उल्लेख कर देते हैं । ऐसा पूल या संघ बनाना प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के मूल सिद्धान्त के विरुद्ध है और खुले व प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति के लक्ष्य को विफल कर देता है। ऐसी प्रवृत्ति सबल उपायों से हतोत्साहित की जानी चाहिए। उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई जैसे निविदा नामंजूर करना, मामले की सूचना 'रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज', एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि को देना; ऐसी फर्मों के विरुद्ध मामला दर मामला स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णीत उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। मंत्रालय/विभाग भी ऐसे हानिकारक मामलों की वांछनीयता की परीक्षा कर सम्बद्ध व्यापारिक संघों जैसे फिक्की, एशोचैम, NSIC, आदि से अन्य बातों के साथ फर्मों के विरुद्ध उपयुक्त और सख्त कार्रवाई का अनुरोध करे। नई फर्मों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे स्वयं को इस क्षेत्र में नये विषयों, नई सामग्रियों और सेवाओं वाले क्षेत्रों में पंजीकृत करायें और संघ बनाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के एकाधिकारपूर्ण शिकंजे को तोड़ें ...।''

Electricity Authority (CEA). He underwent an open-heart surgery at the Escorts Heart Institute and Research Centre, New Delhi after obtaining approval of the Head of the Department for an estimated expenditure of ₹ 2.0 lakhs. He was granted an advance of ₹ 1,94,000. Shri X submitted a final bill of ₹ 2,65,000. Out of this, an amount of ₹ 1,68,160 was admitted. The office issued an order for recovery of ₹ 96,840 from the salary payable to him in equal monthly instalments.

Aggrieved with the proposed recovery, Shri X filed a civil writ petition in the Delhi High Court seeking direction to the CEA for reimbursement of medical expenses in full as the hospital from where he received the treatment was a recognized hospital under the CGHS, and also stoppage of recovery from his salary.

The Hon'ble High Court decided the case in favour of the petitioner and directed the CEA to pay his medical expenses in full. The judgment is required to be implemented within two months of the delivery.

Draft an inter-departmental note from the CEA to the Ministry of Power seeking advice as regards the implementation of the orders of the Hon'ble High Court or otherwise. (अ) श्री 'क' केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में प्रवर श्रेणी लिपिक हैं । नई दिल्ली स्थित 'एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर' में, विभागाध्यक्ष से अनुमानित ₹ 2-0 लाख व्यय की स्वीकृति के उपरान्त उनकी 'ओपन हार्ट सर्जरी' हुई । उन्हें ₹ 1,94,000 अग्रिम प्रदान किए गए । श्री 'क' ने अपना अंतिम बिल ₹ 2,65,000 का प्रस्तुत किया, इस राशि में से ₹ 1,68,160 स्कम स्वीकार कर ली गई । कार्यालय ने ₹ 96,840 की वसूली उनके वेतन से बराबर मासिक किश्तों में काटने के आदेश जारी कर दिए ।

प्रस्तावित वसूली से व्यथित हो श्री 'क' ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी याचिका इस निमित्त दाखिल कर दी कि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को निर्देश दिए जाएँ कि उन्हें समूची राशि की प्रतिपूर्ति की जाए और उनके वेतन से वसूली रोकी जाए क्योंकि उन्होंने जिस अस्पताल से इलाज करवाया था वह केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का एक मान्यता-प्राप्त अस्पताल था।

माननीय अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया और केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता को समूची चिकित्सा राशि प्रदान करें। जारी होने के दो माह के भीतर फैसले के परिपालन के निर्देश भी दिए।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की ओर से माननीय न्यायालय के आदेशों के परिपालन या अन्य दृष्टि के सम्बन्ध में परामर्श हेतु मंत्रालय को भेजे जाने वाले अन्तर्विभागीय टिप्पण का मसौदा तैयार करें। (b) The Director (Administration) in the Central Statistical Organisation observed that applications for leave on medical grounds submitted by employees (gazetted or non-gazetted) were supported with medical certificates and fitness certificates given by the Registered Medical Practitioners (RMP), which was contrary to the provisions contained in Rule 19 of the CCS (Leave) Rules, 1972 (Reproduced below for ready reference).

Draft a circular from the Under Secretary (Administration) to all officers incharge of the sections drawing attention to these lapses and advising them to ensure strict compliance with the laid down rules.

Extract of Rule 19 of the CCS (Leave) Rules

(i) Certificate in Form 3 given by a doctor in a Central Government Health Scheme Dispensary if such a Government servant is a Central Government Health Scheme beneficiary or by a Government Hospital or by an Authorised Medical Attendant if he is not a Central Government Health Scheme beneficiary; and by an Authorised Doctor of the private hospital recognized under Central Government Health Scheme or Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, (आ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के निदेशक (प्रशासन) ने पाया कि चिकित्सा आधार पर अवकाश लेने वाले कर्मचारियों (राजपत्रित या अराजपत्रित) के आवेदनों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र किसी भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का प्रस्तुत किया जाता है जो कि नियम 19 केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के विपरीत है। (नियम के अंश तत्काल संदर्भ हेतु नीचे दिए जा रहे हैं)।

अवर सचिव (प्रशासन) की ओर से एक परिपत्र का मसौदा सभी विभागीय प्रभारियों के अनुभागों के लिए तैयार करें जिसमें इन चूकों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए व उन्हें सुझाया जाए कि प्रदत्त नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

नियम 19, केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली

(i) फार्म 3 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र यदि सरकारी कर्मचारी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी है या प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी से यदि वह केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी नहीं है; और निजी अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सक जो केन्द्र सरकार in case of hospitalization or indoor specialized treatment in respect of any particular kind of disease like heart disease, cancer, etc., for the treatment of which the concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health and Family Welfare:

Provided that the Gazetted Government servant who is a Central Government Health Scheme beneficiary, if at the time of illness, is away from Central Government Health Scheme area or proceeds on duty outside the Headquarters will produce Medical Certificate or Fitness Certificate in Form 3 and Form 5, as the case may, given by an Authorised Medical Attendant;

A non-Gazetted Government servant, shall (ii) be accompanied by a Medical Certificate in Form 4 given by a Central Government Health Scheme Dispensary if such a Central servant is a Government Government Health Scheme beneficiary or by Government Hospital or by an Authorised Medical Attendant if he is not a Central Government Health Scheme beneficiary; and by an Authorised Doctor of the private recognized under hospital, Government Health Scheme or Central स्वास्थ्य योजना से या केन्द्रीय सेवाएँ (चिकित्सा परिचारी) नियमावली 1944 से मान्यता-प्राप्त है, अस्पताल में इलाज हेतु या विशेषीकृत इलाज के लिए खासतौर पर रोगों जैसे हृदयाघात या कैंसर आदि, की खातिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता-प्राप्त है :

बशतें राजपत्रित सरकारी कर्मचारी जो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी है, यदि रोगाक्रमण के समय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्र से बाहर है या सरकारी मुख्यालय से सरकारी सेवार्थ बाहर जाता है चिकित्सा प्रमाण-पत्र, स्वस्थता प्रमाण-पत्र फार्म 3 और फार्म 5 में, मामलानुसार, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी द्वारा दिया गया हो, प्रस्तुत कर सकता है;

(ii) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी वही चिकित्सा प्रमाण-पत्र फार्म 4 संलग्न करेगा जो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय से प्रदत्त है यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी सरकारी अस्पताल या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी है या प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी से यदि वह केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी नहीं है; और ऐसे निजी अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सक से जो

Services (Medical Attendance) Rules, 1944, in case of hospitalization or indoor specialized treatment duly approved by the competent authority in respect of particular kind of disease like heart disease, cancer, etc., for the treatment of which the concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health and Family Welfare:

Provided that the non-Gazetted Government servant who is a Central Government Health Scheme beneficiary, if at the time of illness is away from Central Government Health Scheme area or proceeds on duty outside the Headquarters will produce Medical Certificate or Fitness Certificate in Form 4 or Form 5, as the case may be, given by an Authorised Medical Attendant or by Registered Medical Practitioner if there is no Authorised Medical Attendant available within a radius of eight kilometers from his residence or place of temporary stay outside his Headquarters and also in the circumstances when he finds it difficult to obtain Medical Certificate or Fitness Certificate from a Doctor in a Central Government Health Scheme Dispensary or an Authorised Medical Attendant.

(चिकित्सा परिचारक) नियमावली 1944, यदि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अस्पताल में इलाज हेतु या विशेषीकृत आउटडोर इलाज, विशेष प्रकार के रोगों यथा हृदयघात या कैंसर आदि कराता है यदि सम्बद्ध अस्पताल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता-प्राप्त है।

बशर्ते अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी जो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी है, यदि बीमारी के समय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र से बाहर है या मुख्यालय से बाहर सरकारी काम पर जाता है, फार्म 4 या फार्म 5 में अपना चिकित्सा प्रमाण-पत्र या स्वस्थता प्रमाण-पत्र किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी से या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी उंसके आवास या उसके कार्यालय से बाहर होने की स्थिति में कार्यस्थल से 8 किलोमीटर के अर्धव्यास में नहीं है और उस स्थिति में जब परिस्थितिवश वह कोई भी चिकित्सा प्रमाण-पत्र या स्वस्थता प्रमाण-पत्र किसी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के चिकित्सक या प्राधिकृत चिकित्सा परिचारी से प्राप्त करने हेतु कठिनाई में हो ।

- (c) A Member of Parliament (MP) has written to the Minister of Human Resource Development for establishing a Kendriya Vidyalaya in his constituency. As a Section Officer, you have been asked to obtain comments of the Kendriya Vidyalaya Sangathan on the request and to put up an interim reply to the MP. Please attempt a draft reference to the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan on the request received.
- (d) As per Rule 7 'Demonstration and Strikes' of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964,
 - (i) No Government servant shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of Court, defamation or incitement to an offence, or
 - (ii) resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other Government servant.

An Association of the non-gazetted employees of the Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) has given notice to the Secretary, MoH&FW to go on a one-day strike by the members of the Association to protest against suspension of its President for habitual negligence of duties.

- (इ) एक संसद सदस्य (सांसद) ने मानव संसाधन विकास मंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए पत्र लिखा है। अनुभाग अधिकारी के नाते, आपसे कहा गया है कि इस अनुरोध के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की टिप्पणी प्राप्त करें और सांसद को दिए जाने वाला अन्तरिम उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करें। कृपया प्राप्त अनुरोध के उल्लेख सहित आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस संदर्भ से भी अवगत कराएँ।
- (ई) नियम 7 के अनुसार 'प्रदर्शन और हड़ताल' केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964,
 - (i) कोई भी सरकारी कर्मचारी स्वयं को ऐसे प्रदर्शन से सम्बद्ध नहीं रखेगा जो राज्य की सार्वभौमिकता के हितों और भारत की अखंडता के प्रतिकूल हो, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, जनादेश, शिष्टता या नैतिकता, या जो न्यायपालिका के अवमान, मानहानि या किसी अपराध के उकसाव से सम्बद्ध हो, या
 - (ii) आश्रय ले या किसी प्रकार की हड़ताल दुष्प्रेरित करे या बल प्रयोग करे या अपनी सेवाओं या सरकारी कर्मचारी की सेवाओं के मामले में शारीरिक दबाव का प्रयोग करें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के एक संघ ने अपने अध्यक्ष के अपने कर्त्तव्यों के प्रति आदतन लापरवाही के कारण हुए निलंबन के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर जाने का नोटिस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को दिया है। As a Section Officer in the MoH&FW, you have been directed to issue a letter to the General Secretary of the Association warning that its members would be liable for disciplinary action in case they go on strike.

Please draft a letter to the General Secretary of the Association.

(e) The Chief Secretary of Andhra Pradesh has written to the Secretary, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India, for providing funds to improve sports facilities in schools and colleges in the state. Secretary, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India, put his initial remarks on the margin of the letter that Govt. of India is in the process of formulating a scheme aimed at improving sports infrastructure in schools and colleges in the country. In this regard, views of all the State Governments and Union Territories have been asked for.

> As a Section Officer in the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, you are expected to draft a D.O. letter from the Secretary to the Chief Secretary of Andhra Pradesh bringing out the above.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के नाते आपको निर्देश दिया जाता है कि संघ के महासचिव को यह चेतावनी देते हुए एक पत्र जारी करें कि यदि उनके संघ के सदस्य हड़ताल पर जाते हैं तो वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागीदार होंगे।

कृपया संघ के महासचिव को भेजे जाने वाले पत्र का मसौदा तैयार करें।

(उ) आँध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के खेल विभाग के सचिव को राज्य के विद्यालयों और कॉलेजों में खेल सुविधाओं के सुधार के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा है । युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत सरकार के खेल विभाग के सचिव ने हाशिये पर अंकित अपने टिप्पण में लिखा है कि देश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में आधारित संरचना में सुधार के लिए एक योजना के निर्माण की प्रक्रिया में सभी राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों से विचार आमंत्रित किए गए हैं ।

युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के अनुभाग अधिकारी के नाते आपसे अपेक्षा है कि आप सचिव की ओर से मुख्य सचिव आँध्र प्रदेश को भेजे जाने वाले अर्ध-शासकीय पत्र का मसौदा तैयार कर उक्त विषय सामने लाएँ। Ministry of Agriculture. Your Joint Secretary needs to travel to Jabalpur on 20th November, 2012 by a private airline, as its timings are more convenient to him. In terms of OM No. 19024/2009- E.IV dated 16.09.2010 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, travel by airlines other than Air India due to operational or other reasons requires relaxation from the Ministry of Civil Aviation. Your Joint Secretary has asked you to send a letter to that Ministry for granting necessary relaxation. Please prepare a draft letter.

(ऊ) आप कृषि मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपके संयुक्त सचिव को 20 नवम्बर, 2012 को एक निजी वायुयान सेवा से जबलपुर की यात्रा करने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि इसी सेवा का समय उनके लिए उपयुक्त है। कार्यालय ज्ञापन 19024/2009-इ. IV दिनांक 16.09.2010 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुसार एयर इंडिया के अतिरिक्त अन्य विमानन सेवाओं से यात्रा करने हेतु नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय से छूट लेनी पड़ती है। आपके संयुक्त राचिव ने आदेश दिया है कि आप उस मंत्रालय को आवश्यक छूट प्रदान करने हेतु पत्र लिखें। कृपया पत्र का मसौदा तैयार करें।

टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन

समय : तीन घण्टे

पूर्णांक : 200

अनुदेश

प्रश्न 1 अनिवार्य है । प्रश्न 2 और 3 में से चार-चार भाग करने हैं । प्रत्येक प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है ।

प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक प्रश्न के अंत में दिए गए हैं ।

टिप्पणी : आपका तथा आपके कार्यालय का नाम, अनुक्रमाङ्क अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिए ।

महत्त्वपूर्ण: यह आवश्यक है प्रश्न के सभी भागों/उप-भागों के उत्तर साथ-साथ दें । इसका अर्थ यह है कि अगले प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व पिछले प्रश्न के सभी भागों/उप-भागों के उत्तर समाप्त हो जाएँ।

Note: English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.